SOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

खतरनाक रसायनों के कारण हुई दुर्घटनाएं

2992. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उद्योग की संख्या में हुई निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप खतरनाक रसायनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे उद्योगों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन पर कतिपय शर्तें लगाई जाये?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) कारखानों के राज्य मुख्य निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में रसायन उद्योग में बड़ी दुर्घटनाओं के विषय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिसंकटमय रसायनों की हैंडलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों को 1987 में यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचना परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की संबंधित धाराओं में निर्धारित किया गया है। ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और मानव और पर्यावरण, दोनों पर दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम किया जा सके। उद्योगों का राज्य कारखाना निरीक्षणालय, संबंधित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक निरीक्षण, हर छिमाही में स्थान का मॉक-ड्रिल्स करना तथा अधिष्ठाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियमों में सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करना और समय-समय पर सुरक्षा आडिट करना भी निर्धारित किया गया है। नियमों के विभिन्न प्रावधानों की ओर मुख्य दुर्घटना के खतरे वाले संकट प्रतिष्ठापनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 1991-1992 के दौरान पूरे देश में छः कार्यशालाएं आयोजित की गई। संबंधित उद्योगों और विनियामक एजेंसियों द्वारा बेहतर अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 पर एक विस्तृत गाइड और रसायनिक संकटों के लिए आपातकालीन तैयारी पर एक नियमावली प्रकाशित की गई है।

"रसायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना— तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996" नामक नियमों का एक सैट अधिसूचित किया गया है। नियमों में देश में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चार-स्तरीय एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

मौजूदा पंचवर्षीय योजना के तहत सात अभिनिर्धारित संस्थानों में दुर्घटना निवारण, तैयारी और प्रशमन पर कर्मिकों को प्रशिक्षण देने की एक योजना कार्यरूप में है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा पर आधारित "परिसंकटमय रसायनों" को पुनः परिभाषित करके कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमों पर संशोधन प्रारूप, विचाराधीन है।

(घ) मंजूरी दिए जाने से पहले उद्योगों को 3 अक्तूबर, 1994 को संशोधित परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात निमय, 1989 के तहत स्थानों के अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करना जरूरी है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों तथा 4 मई, 1994 को यथासंशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के तहत भी विनियमित किया जाता है।

New Railway Projects for Karnataka

2993. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the new Railway Projects which have been announced in the Railway Budget and by the Prime Minster for Karnataka;

(b) the cost of each project;

(c) the projects for which technical sanction has been given;

(d) the projects which are awaiting technical sanction; and

(e) the amount provided for these projects in the budget for 1996-97?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) The work of construction of new line from Kadur to Sakleshpur via Chickmagalur (100 Kms.) has been included in the budget 1996-97.

(b) Rs. 157 Crs.

(c) to (c) NIL

Monitoring of grants made to Delhi Government for Primary Education

2994. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government provide grants to the Delhi Government for encouraging primary education;

(b) whether Government monitor the utilisation of the grants on the basis of basic indices like providing basic amenities like clean toilets, proper drinking water, and clean hygienic atmosphere within the school premises;

(c) if so, whether Government are aware that these conditions are being violated with impunity in case of M.C.D. Primary School, Mayur Vihar, Pocket-I, Delhi where the school authorities have been maintaining atrocious hygienic conditions for the students;

(d) if so, the action taken against the school authorities; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) It is mainly the responsibility of State Governments & UT Administrations to provide necessary infrastructure and basic amenities in schools. Their efforts are supplemented by Centrally Sponsored Schemes such as Operation Blackboard under which funds have been provided to Delhi Government also. Implementation of the scheme is reviewed and monitored at vaious levels in Central and State Government.

(c) According to the information furnished by Municipal Corporation, Delhi, the hygienic conditions in Municipal Corporation Primary School, Mayur Vihar, Pocket-I, Delhi are quite satisfactory.

(d) and (e) Do not arise.

वाराणसी स्थित गांधी विद्या संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना

2995. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या ठोस कार्रवाई की है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान के रूप में, गांधी के विचारों और दर्शन शास्त्र के संदर्भ में इसकी स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित करने का प्रस्ताव है। गांधी अध्ययन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा इसके उपर्युक्त पुनरीक्षण के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु रेलवे का परिव्यय

2996. **श्री राम जेठमलानी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 65,000 करोड़ रुपये का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश की जाने वाली धनराशि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेशित धनराशि से अधिक है; और